धारा 89 : प्राइवेट कंपनियों के निदेशकों का दायित्व

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी प्राइवेट कंपनी से किसी अवधि के लिए माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए कोई कर, ब्याज या शास्ति, जिसको वसूल नहीं किया जा सकता है, शोध्य है, वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अवधि, जिसके लिए कर शोध्य है, के दौरान प्राइवेट कंपनी का निदेशक था, संयुक्त रूप से और पृथकतः ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का सिवाय तब के जब वह आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि ऐसी न की गई वसूली कंपनी के कार्यों के संबंध में उसकी गंभीर उपेक्षा, दुष्करण या कर्त्तव्य भंग के कारण नहीं हुई है, संदाय करने के लिए दायी होगा।

(2) जहां प्राइवेट कंपनी को किसी पब्लिक कंपनी में संपरिवर्तित किया जाता है और किसी अवधि, जिसके दौरान ऐसी कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, के दौरान माल है या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के लिए किसी कर, ब्याज या शास्ति की ऐसे संपरिवर्तन से पूर्व वसूली नहीं की जा सकती है, वहां उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होगी, जो ऐसी प्राइवेट कंपनी का, ऐसी प्राइवेट कंपनी द्वारा मालों की या सेवाओं की या दोनों की पूर्ति के संबंध में किसी कर, ब्याज या शास्ति के संबंध में निदेशक थाः

परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे निदेशक पर अधिरोपित वैयक्तिक शास्ति को लागू नहीं होगी।